फारम संख्या 562

कार्यालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

JBLR&E Case
Control Case
No. 01/2021

आदेश पत्रक

जय कृष्णा सिंह प्रथम पक्ष

पक्ष

बनाम सुनिल बर्णवाल द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या .... सन् 2021

धारा द०प्र०स० JBC Case No. 01/2021

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
25/11/2021	आवेदक जय कृष्णा सिंह पे० स्व० चन्द्रदाप सिंह सा० - चौनो थाना - बिरनी जिला - गिरिडीह द्वारा Jharkhand Building (Lease, Rent & Eviction) Control ACT 2011 की धारा 19 के अंतर्गत प्रतिवादी सुनिल बर्णवाल पे० स्व० बासुदेव बर्णवाल सा० - सिमराढाब थाना - बिरनी जिला - गिरिडीह के विरुद्ध वाद दाखिल किया गया। वादी किराये पर दिये हुये अपने मकान के किरायेदारी के शर्तों का उल्लंघन करने के बाबत किरायेदार को बेदखल करने हेतु अनुरोध किया गया है। वादी द्वारा 9875:00 (नौ हजार आठ सौ पचहत्तर रुपये) न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। जो आवेदन के साथ संलग्न है। उभय को वाद स्वीकृति के बिन्दु पर सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत करें। दिनांक 05/01/22 को कारण-पृच्छा की माँग की जाती है। विवादग्रस्त भूमि का विवरण मौजा - सिमराढाब खाता नं० 57 प्लॉट नं० 42 रकबा - 0.2 7/10 डी० लम्बाई 25 फिट व चौड़ाई 10 फिट चौहद्दी उत्तर - जुजो प्लाट निज मौकिरान व कादरान दक्षिण - जुजो प्लाट निज मौकिरान पूरब - सरकारी सड़क सरिया - धनवार पथ पश्चिम - जुजो प्लाट निज मौकिरान जो वादी को खरीदगी हासिल है। अनुमण्डल पदाधिकारी बगोदर- सरिया	

5/1/22 अभिलेख उपस्थापित।
उभय पक्ष उप०।
अभिलेख दिनांक 18/1/22 को रखे।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

18/1/22 प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष वकालतन दाखिल।
अभिलेख दिनांक 15/2/22 को रखे।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

15/2/22 प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष वकालतन दाखिल।
अभिलेख दिनांक 8/3/22 को रखे।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

8/3/22 उभय पक्ष वकालतन दाखिल।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा लिखित अभिकथन का अवलोकन किया। उक्त आधार पर विवेचन बिन्दु का निर्धारण किया जाता है जो निम्नवत है:-

1. क्या प्रथम पक्ष के द्वारा निर्धारित कोर्ट फी दाखिल किया गया।
2. क्या प्रश्नगत मकान के मालिक आवेदक है ?
3. क्या मकान मालिक द्वारा मकान द्वितीय पक्ष को किराया पर दिया गया ?

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	4. क्या मकान-मालिक एवं किरायेदार का सम्बन्ध स्थापित हुआ ? 5. क्या माँगा गया आशुतोष पोषणीय है। उक्त विचारण बिन्दु पर अगली तिथि को उभय पक्ष अपना पक्ष रखें। TO 22/03/22 (हस्ताक्षर) 8/3/22	R/C Deepak (हस्ताक्षर) 08/03/22 (हस्ताक्षर) 8.3.22
22/3/22	उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अभिलेख दिनांक 5/4/22 को रखे। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरियां (गिरिडीह)	
5/4/22	उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रथम पक्ष के द्वारा समय की मांग की गई है जिसे आज तक के लिये स्वीकृत किया जाता है। द्वितीय पक्ष के द्वारा विचारण बिन्दुवार जवाब दाखिल किया गया है। सुनवाई हेतु दिनांक 7/4/22 को रखें। (हस्ताक्षर) 5/4/22	

(4)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
7/4/2022	उभय पक्ष व्यक्तिगत हाजिर। प्रथम पक्ष के द्वारा कथ कोर्ट फी दाखिल किया गया है, इसे अगली तिथि के पूर्व दाखिल करें। अगली तिथि को प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य विवेचन बिन्दुवार प्रस्तुत करें। To 13/04/22 [signature] 7/4/22	
13/4/22	पीठासीन पदा० निर्वाचन सम्बन्धी कार्य में व्यस्त हैं। दिनांक 19/4/22 को रखें। [signature] 13/4/22	
19/4/22	उभय पक्ष व्यक्तिगत हाजिर। प्रथम पक्ष के द्वारा शेष कोर्ट फी दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा Jharkhand Building (Lease, Rent & Eviction) Control Act, 2011 की धारा 4(1) की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया। उक्त अधिनियम की धारा 4(1) में वर्णित है कि "Notwithstanding anything contained in section 107 of [signature] 19/4/22	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	of the Transfer of Property Act, 1882 (Central Act 4 of 1882), no person shall, after the commencement of this Act let or take on rent any building except by an agreement in writing." प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त प्रावधान के अनुरूप लिखित किरायानामा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मौखिक रूप से किराये पर मकान दिया गया था। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि का सरकारी लगान रसीद सं० - 0874433448 दिनांक - 15/02/20220 दाखिल किया गया है जो सुरेन्द्र कुमार सिन्हा के नाम से निर्गत है। वाद पत्र इकबाल सिंह के द्वारा लाया गया है जो इससे सम्बन्धित (प्रथम पक्ष) प्रतीत नहीं होते हैं। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रारम्भिक स्तर पर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है तथा प्रथम पक्ष के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। 19/4/22	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.04.19 16:30:22 +05:30
Location: 192.168.1.5